प्रेस प्रकाशनी PRESS RELEASE

भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

वेबसाइट : www.rbi.org.in/hindi
Website : www.rbi.org.in
ई-मेल/email : helpdoc@rbi.org.in

संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, एस.बी.एस.मार्ग, फोर्ट, मुंबई-400001
Department of Communication, Central Office, S.B.S.Marg, Fort, Mumbai-400001
फोन/Phone: 022- 22660502

2 नवंबर 2021

रिज़र्व बैंक ने सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों के कामकाज और उन पर लागू विनियामक दिशानिर्देशों की समीक्षा संबंधी समिति की रिपोर्ट जारी की

07 अप्रैल 2021 को मौद्रिक नीति वक्तव्य के साथ जारी विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में घोषित किए अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक ने 19 अप्रैल 2021 को श्री सुदर्शन सेन, पूर्व कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक की अध्यक्षता में परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) पर लागू विधिक और विनियामक ढांचे की व्यापक समीक्षा करने के लिए एक समिति के गठन की घोषणा की थी। समिति के विचारार्थ विषय, मुद्दों की जांच करने और वित्तीय क्षेत्र की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एआरसी को सक्षम बनाने के लिए उपयुक्त उपायों की सिफारिश करने थे।

समिति ने तब से अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और इसे आज भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर हितधारकों और जनता की टिप्पणियों के लिए रखा जा रहा है। टिप्पणियाँ 15 दिसंबर 2021 तक ईमेल के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकती हैं। समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर अंतिम विचार करने से पूर्व आरबीआई उनकी जांच करेगा।

(योगेश दयाल)
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2021-2022/1140